मुख्य अभियंता का कार्यालय
सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :– सीमांचल–आउटलेट–03–05/2021 – 418 (अनु) दिनांक :– 26/4/23

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ अंचल सहरसा।

विषयः– **पथ प्रमंडल खगड़िया अन्तर्गत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (वि०प्र०), बेगूसराय मंडल द्वारा खगड़िया जिलान्तर्गत मौजा–सौढ़, थाना–परबता, थाना नं०–347, प्लॉट नं०–2590, खाता नं०–621 में रिटेल आउटलेट स्थापित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–385 (अनु0) दिनांक–18.04.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक उपभागीय पत्रांक–344, दिनांक 01.04.2023 के आलोक में प्रासंगिक पत्र से सूचित किया गया है कि विषयांकित किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदक द्वारा कुल विभागीय शुल्क ₹1,70,812.00 (रूपये एक लाख सत्तर हजार आठ सौ बारह) मात्र की राशि Treasury Challan के माध्यम से जमा करा दिया गया है। अतः उक्त के आलोक में विषयाधीन किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार हेतु 5 (पाँच) वर्षो के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक–4770(E) दिनांक 24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1921(S) दिनांक 08.03.2018) के आलोक में निम्न शर्त्तो पर प्रदान की जाती हैः–

1. भविष्य में यदि आवेदिका द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
3. प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
4. विभागीय पत्रांक 4770 (ई0) दिनांक 24.08.2017 के कंडिका–6 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।

अनु0:–मूल नक्शा की एक प्रति।

विश्वासभाजन

Sd/- 26/4/23

मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।